

न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :- 142/2017

अनुवान मुकदमा

1. कृष्णलाल पि० ई रराम जाति छिम्पा निवासयान क्रमा 1:- चक 2 एन एम ठाकरूवाला एवं चक 8 बी आर पी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 2. रामकुमार पि० ई रराम जाति छिम्पा निवासयान क्रमा 1:- चक 2 एन एम ठाकरूवाला एवं चक 8 बी आर पी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 3. आत्माराम पि० ई रराम जाति छिम्पा निवासयान क्रमा 1:- चक 2 एन एम ठाकरूवाला एवं चक 8 बी आर पी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 4. बनवारी पि० ई रराम जाति छिम्पा निवासयान क्रमा 1:- चक 2 एन एम ठाकरूवाला एवं चक 8 बी आर पी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 5. रामनिवास पि० ई रराम जाति छिम्पा निवासयान क्रमा 1:- चक 2 एन एम ठाकरूवाला एवं चक 8 बी आर पी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण-

बनाम

1. श्री ई रराम पुत्र स्व: श्री मेघराज जाति छिम्पा साकिन 2 एन.एम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा प्रतिवादीगण-
उपस्थित- श्री सजय चांडक अभिभाषक वादीगण।
श्री अ लोक कुमार चिराणिया अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
नायब तहसीलदार पीलीबंगा जरिये राजपेरीकार।

निर्णय दिनांक-08.11.2017

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 आर.टी.ए.

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,209 आर.टी.ए. संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के दादा श्री मेघा व उसके भाई कालु पि० तारु के नाम से ग्राम बडोपल बरानी के खसरा नं. 1082 में 6.12 बीघा खसरा नं. 1083 में 40.14 बीघा, खसरा नं० 1087 में 6.10 बीघा खसरा नं० 1171 में 8.03 बीघा एवं खसरा नं० 1172 में 12.04 बीघा कुल 74.03 बीघा बरानी मोरुशीदार कृषी भूमि धारण में थी। तथा वादीगण के दादा श्री मेघा के भाई श्री कालुराम पुत्र तारु अविवाहित एवं लाओलाद फोट हो गये थे इसलिए वादीगण के दादा श्री मेघा एवं श्री कालु पि० तारु की मृत्यु के बाद उक्त समस्त कृषी भूमि कानून एक मात्र स्व० श्री के वारीसान दाना-ईसर-मुखी पुत्र/पुत्री मेघा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। यहा तक कोई विवाद भी नहीं है। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में प्रामाणित नकल नामान्तरण रजिस्टर संख्यां 763 की प्रामाणित प्रति सलग्न वाद - पत्र है। तथा उक्त समस्त पैत्रिक कृषी भूमि में से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दाना-ई र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पि० मैघा के नाम खसरा न० 1082 में 1.670 है० खसरा न० 1171 में 2.062 है०, खसरा न० 1172 में 3.087 है० एवं खसरा न० 2383 में 5.692 है० कुल 12.511 है० बाराणी खातेदारी कृशी भूमि दर्ज चली आ रही है। अपने कथनों की पुष्टि में प्रामाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 20-207 हमरा इस वाद-पत्र के साथ सलग है। तथा उक्त रकबा दाना -ई 1र पि० मैघा के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब०हि०ब० दर्ज है। अर्थात् उक्त रकबा में ई 1रराम पुत्र मेघाराम प्रतिवादी न० 1 का 1/2 हक व हिस्सा होना प्रमाणित है। यहा तक भी कोई विवाद नहीं है। तथा उक्त खातेदारी कृशी भूमि निर्विवाद रूप से वादीगण की पैतृक कृशी भूमि है। जिस पर वशों से वादीगण एवं प्रतिवादीगण न० 1 भात्तिपूर्वक संयुक्त रूप से का त करते आ रहे है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण न० 1 संयुक्त हिस्सा हिन्दु परिवार के सदस्य है। संयुक्त परिवार का एवं संयुक्त परिवार की धारित चल - अचल सम्पति का आज दिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

.....2.....

तथा वादीगण के संयुक्त परिवार का मुखिया प्रतिवादी न० 1 ईसरराम पुत्र मेघाराम हैं उक्त पैतृक कृशी भूमि की आय से परिवार के मुखिया प्रतिवादी न० 1 ईसरराम पुत्र मेघाराम है। राजस्व तहसल पीलीबंगा क वक न० 10 एस टी बी के खाता सं० 112/107 में पं. नं. 40/355 में किं. नं. 2,5/1 ता 9 में 1.314 है० चक 1 एन एम के खाता सं. 65/64 में पं. नं. 32/360 में किं. नं. 21 ता 25 में 1.265 है० चक 2 एन एम के खाता सं. 65/64 में पं.नं. 37/360 में किं.नं. 1,10,11,20,21 में 1.265 है० कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला कृशी भूमि अर्जित की गई है। उक्त अर्जित कृशी भूमि की तमाम देय कि त रा पी संयुक्त परिवार के उक्त सदस्यों ने पैतृक कृशी भूमि से अर्जित की गई आय से भुगतान की है। तथा उक्त अर्जित की गई कृशी भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी न० 1 का संयुक्त रूप से भात्तिपूर्वक का त चली आ रही है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण न० 1 का अब संयुक्त परिवार काफी बड़ा हो चुका है। भूमि को सुधारने एवं समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की जा रही कृशी सबधि सुविधाएं को प्राप्त करने में वादीगण को अनेकों कठिनाईया आ रही है। मुखिया प्रतिवादी न० 1 को कृशी सबधि हर कार्य के लिए इधर उधर लाना ले जाना कष्टदायक है। इसलिए वादीगण चक 10 एसटीबी के खाता सं. 112/107 में पं. नं. 40/355 में किं. नं. 2,5/1 ता 9 में 1.341 है० खाता सं. 65/64 में पं. नं. 32/360 में किं. नं. 21 ता 25 में 1.265 है० खाता सं. 64/60 में पं. नं. 37/360 में किं. नं. 1,10,11,20,21 में 1.265 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला कृशी भूमि में प्रत्येक के नाम से अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण न० 1 के नाम से प्रत्येक 1/6-1/6 हक व हिस्सा हाने की घोशणा करवाने के हकदार है। वादीगण के इस आ य की घोशणा स्वीकार की जावे। तथा वादीगण अपने अपने उक्त हक व हिस्सानुसार उक्त वादाधिन कृशी भूमि पर भौतिक रूप से काबिज भी चले आ रहे है। तथा संयुक्त का त भी करते आ रहें है। तथा

प्रतिवादी न० 1 के नाम से दर्ज उक्त रकबे के सबध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वं उक्त रकबा किसी भी सक्षम न्यायालय के स्थगन—आदे 1 से प्रभावित नहीं है। तथा वादीगण चक न० चक 10 एसटीबी के खाता सं. 112/107 में प०न० 40/355 में किं. नं. 2,5/1 ता 9 में 1.341 है। चक 1 एन एम के खाता सं. 65/64 में पं.नं. 32/360 में किं. नं. 21 ता 25 में 1.265 है। चक 2 एन एम के खाता सं. —64/60 मे पं.नं. 37/360 में किं. नं. 1,10,11,20,21 में 1.265 है। कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला कृशी भूमि में प्रत्येक के नाम से अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण न० 1 के नाम से प्रत्येक के 1/6—1/6 हक व हिस्सा होने की घोशणा करवाने के हकदार है। वादीगण के इस आ य की घोशणा स्वीकार की जावें। साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 चक 10 एसटीबी, चक 1 एन.एम सम्वत् 2072—2075 व चक 2 एन. एम सम्वत् 2073—2076 व चक बडोपल सम्वत् 2070—2073, नकल नामान्तकरण ग्राम बडोपल बारानी सं. 763 दिनाक 24.11.1977 पे 1 किये गयें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर सें जरिये अधिवक्ता श्री अ गोक कुमार चिराणिया द्वारा ईकबालदावा दिनाक 11.07.2017 को पे 1 किया गया व प्रतिवादी सं. 2 पेशेकार राज द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजयहित को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जावें। प्रकरण में विरोध नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। साक्ष्यवादी में वादीगण के भापथ पत्र व प्रतिवादी का भापथ पत्र तथा प्रतिवादी के परिवार का कुर्सीनामा व सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वादी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने के कारण सहमति अनुसार वाद वादीगण डिकी करने हेतु निवेदन किया गया बहस पर मनन किया गया वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार कर चक 10 एसटीबी के खाता सं. 112/107 में प०न० 40/355 में किं. नं. 2,5/1 ता 9 में 1.341 है। चक 1 एन एम के खाता सं. 65/64 में पं.नं. 32/360 में किं. नं. 21 ता 25 में 1.265 है। चक 2 एन एम के खाता सं.—64/60 मे पं.नं. 37/360 में किं. नं. 1,10,11,20,21 में 1.265 है। कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला कृशी भूमि में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/6—1/6 का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो निर्णय सूनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official